न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1.जीवणराम पुत्र रूपाराम		1. गोपालकृष्ण पुत्र मोहनलाल सोनी सा. लूंणवा
2.हीराराम पुत्र रूपाराम		2. हणमान पुत्र सुजा जाट सा. पीपराली
3.रूघनाथराम पुत्र रूपाराम		3. मोहनीदेवी पत्नी पन्नाराम जाट सा. पीपराली
4.तेजाराम पुत्र रूपाराम		4. मोहनीदेवी पत्नी रामदेव जाट सा. पीपलाली
5.भैरूराम पुत्र रूपाराम		5. गंगाराम पुत्र भोमाराम कुमावल सा. गौरवपुरा
6.सोहनलाल पुत्र रूपाराम		6. छोटीदेवी पत्नी शिवजीराम कुम्हार सा.
7.श्रवणराम पुत्र रूपाराम		7. रामदेव पुत्र शिवजीराम कुम्हार सा. गौरवपुरा
जाति कुम्हार सा. गौरवपुरा		8. भंवरलाल पुत्र शिवजीराम कुम्हार सा. गौरवपुरा
		9. ओमप्रकाश पुत्र शिवजीराम कुम्हार सा. गौरवपुरा
		10. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा।

उपस्थित :– श्री हनुमानाराम वकील वादीगण
श्री सागरमल सेवर वकील प्रतिवादी 1
श्री रामेश्वरलाल भीचर वकील प्रतिवादी 6 से 9

मुकदमां नम्बर :–108/2015 निर्णय दिनांक :– 11.02.2017

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम लूंणवा के खसरा नम्बर 81 से 84, 111 से 123, 138 से 143, 146, 495, 496, 601, 602, 603 कुल रकबा 28.30 हैक्टयर में स्थित हैं जिसमें 1. 13 हैक्टरूर भूमि वादीगण के स्वर्गीय पिता रूपाराम वल्द धन्नाराम तथा प्रतिवादी 6 से 9 के पति व पिता स्व. शिवजीराम वल्द पेमाराम कौम कुम्हार के नाम दर्ज रिकार्ड थी। वादीगण के पिता ने अपने हक हिस्से की भूमि में से 0.007 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 1 को विक्रय की जिसके आधार पर नामान्तकरण मुताबिक बैचान 0.007 हैक्टयर भूमि का दर्ज किया गया। तथा प्रतिवादीगण 1 से 6 ने अपने हक हिस्से की भूमि में से 0.06 हैक्टयर प्रतिवादी 5 को जरिये विक्रय पत्र बैचान की थी। प्रतिवादी 1 को वादीगण के पिता द्वारा 0.007 हैक्टयर भूमि का बैचान किया गया था नामान्तकरण भी 0.007 हैक्टयर भूमि का दर्ज किया गया लेकिन जमाबन्दी में अंकित करते समय 0.07 हैक्टयर अंकित कर दिया गया तत्पश्चात ग्राम लूणावा में दो नये ग्राम शेरपुरा व गोरवपुरा सृर्जित हुऐ है। ग्राम लूंणवा के खसरा नम्बर 81 से 84, 111 से 123, 138 से 141, 143, 146 कुल रकबा 22.06 हैक्टयर ग्राम शेरपुरा की सरहद में तथा खसरा नम्बर 495, 496, 601, 602, 603 कुल रकबा 6.25 हैक्टयर भूमि ग्राम गोरवपुरा में कायम किऐ गये हैं। प्रतिवादी 1 ने सहवन से दर्ज अपनी खातेदारी का नाजायज फायदा उठाते हुऐ जमाबन्दी में अंकित 0.07 हैक्टयर में से 0.01 हैक्टरूर भूमि प्रतिवादी 2 को तथा 0.0032 हैक्टयर प्रतिवादी 3 व 4 को विक्रय

कर दी जबकि मौके पर प्रतिवादी 1 ने कुल 0.00465 हैक्टयर भूमि ही खरीद की थी उसमें से मौके पर 0.002325 हैक्टय प्रतिवादी 2 को तथा 0.002325 हैक्टय प्रतिवादी 3 व 4 को विक्रय की हैं जिसमें प्रतिवादी 2,3,4 ने पक्का निर्माण कर लिया हैं जिससे अब प्रतिवादी 1 से 4 के पास शेष भूमि नहीं हैं। बैचान दस्तावेज में बैचान की गई भूमि से अधिक भूमि जमाबन्दी में दर्ज होने से वादी ने यह वाद पेश कर ग्राम गोरवपुरा के खसरा नम्बर 495, 496, 601, 602, 603 कुल रकबा 6.25 हैक्टयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी 1 से 9 के नाम अंकित 1.13 हैक्टयर में से वादीगण 1 से 7 को 0.56035 हैक्टयर, प्रतिवादी 2 को 0.002325 हैक्टयर प्रतिवादी 2 व 4 को 0.0025 हैक्टयर तथा प्रतिवादी 5 को 0.06 हैक्टयर तथा प्रतिवादी 6 से 9 को 0.5050 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाऐ जाने की इस्तदुआ की है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 2,3,4 व 10 के सम्मन व्यक्तिगत रूप से तामील होकर प्राप्त होने पर बार बार अवाज लगाने पर अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही गई। प्रतिवादी 1 व प्रतिवादी 5 से 9 ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुऐ इकबालिया जवाब पेश कर वादीगण के वाद बाबत पूर्णतया सहमति दी है, इसी दौरान वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के पेश कर वाद की इस्तदुआ में वादीगण को 0.56035 हैक्टरूर के बजाय 0.5582 हैक्टयर, प्रतिवादी 2 को 0.002325 हैक्टरूर के बजाऐ 0़0038 हैक्टयर तथा प्रतिवादी 3, 4 को 0.002525 हैक्टयर के बजाय 0.0032 हैक्टयर संशोधित मानते हुऐ वाद का निर्णय किऐ जाने की इस्तदुआ की जिस पर प्रतिवादीगण की सहमती से प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर वाद की इस्तदुआ में संशोधन स्वीकार किया गया। तत्पश्चा साक्ष्य वादी में वादी श्रवणराम, जीवणराम एवं गवाह प्रकाशचन्द, रामपाल के शपथ पत्र पेश किऐ ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर वकुलाय की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत 2050–53 के अनुसार ग्राम लूणवा के खसरा नम्बर 81 से 84, 111 से 123, 138 से 143, 146, 495, 496, 601, 602, 603 कुल रकबा 28.30 हैक्टयर में स्थित थी जिसमें 1.13 हैक्टयर भूमि रूपाराम वल्द घानाराम वादीगण के पिता व श्योजीराम पुत्र पेमाराम प्रतिवादी 6 से 9 के पति पिता के नाम दर्ज रिकार्ड थी। वादीगण ने वाद के साथ बैचान दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की हैं जिसमें वादीगण के पिता रूपाराम पुत्र धन्नाराम जाति कुम्हार ने उपरोक्त खसरान की भूमि में 1.13 हैक्टयर में अपने हक हिस्से की भूमि में से 0.007 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 1 को रजिस्टर्ड बैचान की हैं बैचान दस्तावेज में रकबा 0.007 हैक्टयर स्पष्ट रूप से अंकित हैं, उक्त बैचान के अनुसार पर नामान्तकरण संख्या 214 स्वीकृत किया गया जिसमें वादीगण के पिता द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि में से बैचान करने पर 0.007 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं जो बैचान दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट हैं, उक्त नामान्तकरण संख्या 214 के जरिये जमाबन्दी में अंकित करते समय सहवन से प्रतिवादी 1 का हिस्सा 0.07 हैक्टयर अंकित कर दिया गया जिसका उल्लेख जमाबन्दी में अंकित हैं।

11/2
अधिकारी

उपरोक्त विवेचन एवं जमाबन्दी सम्वत 2050–53 , व बैचान दस्तावेज व नामान्तकरण के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि ग्राम लूणाव वर्तमान ग्राम गौरवपुरा के खसरा नम्बर 81 से 84, 111 से 123, 138 से 143, 146, 495, 496, 601, 602, 603 कुल रकबा 28.30 हैक्टयर में वादीगण के पिता व प्रतिवादी 6 से 9 के पति व पिता के नाम 1.13 हैक्टयर भूमि दर्ज रिकार्ड थी जिसमें से वादीगण के पिता द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि में से 0.007 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 1 को बैचान किया था जो बैचान दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित हैं तथा उक्त बैचान के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण 214 में भी प्रतिवादी 1 का खरीद सुदा रकबा स्पष्ट रूप से 0.007 हैक्टयर अंकित हैं लेकिन जमाबन्दी में उक्त नामान्तकरण का अमल करते समय सहवन से रकबा 0.07 हैक्टयर अंकित कर दिया गया, जो दस्तावेजी साक्ष्य से ही स्पष्ट हैं। जिससे वादीगण का वाद साबित होता है, जिसको प्रतिवादी 1 स्वंय ने इकबालिया जवाब पेश कर स्वीकार किया हैं जिससे वादीगण का वाद साबित होता है।

अतः वादीगण का वाद पक्षकारो की सहमति से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम गौरवपुरा के खसरा नम्बर 495, 496, 601, 602, 603 कुल रकबा 6.25 हैक्टयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी 1 से 9 के नाम दर्ज 1.13 हैक्टयर में से प्रतिवादी 1 का नाम हटाया जाकर वादी 1 से 7 को 0.5580 हैक्टयर भूमि का , प्रतिवादी 6 से 9 को 0.5050 हैक्टयर का तथा प्रतिवादी 2 को 0.0038 हैक्टयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी 3 व 4 के हक हिस्से में 0.0032 हैक्टयर व प्रतिवादी 5 के हक हिस्से में 0.06 हैक्टयर पूर्व से दर्ज अनुसार यथावत रहेगी। तदुनसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर प्रतिवादी 1 का नाम हटाया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

Sd/- 11/2/17

(एस.एम.शाह)

उपखण्ड अधिकारी, नांवा

उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर)